भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 977 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाएं

†977. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की परियोजनाओं की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्देशीय कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बिहार में अतिरिक्त नदी टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क), (ख) और (घ): जी, हाँ। गत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का विवरण तथा बिहार की परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-1 पर परियोजनाओं की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग): राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक एवं नीतिगत उपायों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ): सरकार ने 'मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030' तथा 'मैरीटाइम अमृतकाल विज़न 2047' के अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्गों को भारत की मल्टीमाडल परिवहन प्रणाली के एक प्रमुख आधार-स्तंभ के रूप में विकसित करने हेतु व्यापक परिवर्तनकारी पहल प्रारंभ की है। भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन

(आईडब्ल्यूटी) के विकास के अंतर्गत फेयरवे विकास मल्टीमोडल का विकास के माध्यम से विश्वस्तरीय जलमार्ग अवसंरचना का सृजन, बहु-मल्टीमाडल टर्मिनलों, सामुदायिक जेट्टियों तथा नदी क्रूज़ टर्मिनलों का विकास, क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, डिजिटल नौवहन को प्रोत्साहन तथा हरित जलयान प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

इज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, नौवहन सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा हितधारकों को वास्तविक समय पर सूचना सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए पानी, जलयान एवं नाविक, कार-डी, जल समृद्धि पोर्टल, डिजिटल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण चार्ट तथा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित अनेक डिजिटल पहलें प्रारंभ की गई हैं।

इन अवसंरचनात्मक, डिजिटल तथा नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप देश में 32 राष्ट्रीय जलमार्गों का परिचालन प्रारंभ हो चुका है तथा आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित, सतत एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतर्देशीय जल परिवहन पारितंत्र की मजबूत आधारशिला स्थापित हुई है। यह पारितंत्र लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, हरित परिवहन (ग्रीन मोबिलिटी) को बढ़ावा देने तथा समावेशी आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है।

अनुबंध-I

दिनांक 24.07.2026 को दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 977 के उत्तर के भागों (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध।

गत 3 वर्षों के दौरान आईडब्ल्यू की परियोजना:

1. रा.ज.-1 पर जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी):

क्र.सं.	परियोजना	स्थिति
1	वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी-मॉडल टर्मिनल का विकास	पूर्ण एवं परिचालनरत
2	फरक्का में नए नेविगेशनल लॉक का विकास	पूर्ण एवं परिचालनरत
3	कालुघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल का विकास	पूर्ण एवं परिचालनरत
4	बालागढ़ में इंटरमॉडल टर्मिनल का विकास	कार्यान्वयन के अधीन
5	फरक्का में मौजूदा नेविगेशनल लॉक का आधुनिकीकरण	कार्यान्वयन के अधीन
6	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 66 कम्युनिटी जेट्टी (घाट) की स्थापना	पूर्ण एवं परिचालनरत
7	पटना और वाराणसी में पोत की मरम्मत और रखरखाव की सुविधा का विकास	कार्यान्वयन के अधीन
8	पटना और वाराणसी में प्रस्तावित रिवर क्रूज़ टर्मिनल	डीपीआर/योजना स्तर
9	रा.ज.-1 पर वाराणसी, पटना और कोलकाता में प्रस्तावित वॉटर मेट्रो	डीपीआर / योजना स्तर
10	क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज़्म (क्यूपीओएम)	2 चालू किए गए और 8 अतिरिक्त विकास के चरण में हैं।
11	त्रिवेणी-कटवा, कटवा-फरक्का, फरक्का-कहलगांव, सुल्तानगंज-महेंद्रपुर-बाढ़, बाढ़-दीघा, दीघा-मझौआ, मझौआ-गाजीपुर, गाजीपुर-वाराणसी, और कालूघाट एक्सेस चैनल आदि में रा.ज.-1 के साथ शुरू से अंत तक फेयरवे विकास।	जारी
12	क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र का विकास, वाराणीसी	डीपीआर तैयार किया जा रहा है
13	बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में 4 स्थानों पर रो-पैक्स सुविधा का विकास	चालू किया गया
14	पुशर टग (3) और डंब बार्ज फ्लोटिला (6) की खरीद	पूर्ण
15	10 कटर सक्शन ड्रेजर (सीएसडी) का डिज़ाइन, निर्माण और सप्लाई	1 सुपुर्द किया गया; 9 विकासाधीन

16	4 हाइब्रिड सर्वे जलयान	विकासाधीन
17	एनएमएलपी - फ्रेट विलेज, वाराणसी का विकास	निविदा प्रक्रिया के तहत

2. पूर्वोत्तर में रा.ज-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और रा.ज-16 (बराक नदी) पर परियोजनाएं:

(i) एनईआर की पूर्ण परियोजनाएं:

क्र.सं.	परियोजनाएं
1.	एमएमएलपी जोगीघोपा में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल का विकास
2.	बोगीबील में कार्गो-सह-पर्यटक टर्मिनल का निर्माण
3.	बोगीबील और पांडु में तैरते हुए पर्यटक जेट्टी का निर्माण
4.	धुबरी और बोगीबील में कस्टम और इमिग्रेशन इमारतों का निर्माण
5.	जोगीघोपा टर्मिनल पर बाउंड्री वॉल का निर्माण
6.	डिब्रूगढ़ में हेरिटेज बिल्डिंग का नवीनीकरण
7.	असम में एनएच-27 से पांडु जेट्टी तक अप्रोच रोड का निर्माण
8.	टर्मिनल और फेयरवे के रखरखाव सहित अन्य कार्यों का संचालन और रखरखाव (2014-2026)

(ii) पूर्वोत्तर के प्रगतिरत परियोजनाएं:

1. **रा.ज -2 (बांग्लादेश बॉर्डर से पांडु तक) के लिए डीसीआई के ज़रिए फेयरवे का विकास -** रा.ज पर नौचालन के लिए ज़रूरी गहराई बनाए रखने और सुरक्षित जलयान की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए डीसीआई के ज़रिए 143 करोड़ रुपये की लागत से यह काम किया जा रहा है।

2. **पांडु में पोत मरम्मत सुविधा -** इसे 283 करोड़ रुपये की संशोधित लागत से विकसित किया जा रहा है, ताकि अंतर्देशीय जलयानों के लिए ड्राई-डॉकिंग और मरम्मत संबंधी अवसंरचना उपलब्ध कराया जा सके और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आईडब्ल्यूटी संचालन को सुदृढ़ किया जा सके।

3. **विश्वनाथ घाट पर पर्यटक जेट्टी और नेमाती घाट पर कार्गो-सह-क्रूज़ टर्मिनल का निर्माण -** रा.ज **-2** पर क्रूज़ टूरिज़्म और यात्रियों की आवाजाही को सुदृढ़ करने के लिए 158 करोड़ रुपये की लागत से इनका विकास किया जा रहा है।

4. **डिब्रूगढ़ में आरसीओई का विकास -** इसे अंतर्देशीय जलमार्ग सेक्टर के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास और अनुसंधान अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 188 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है।

5. **पांडू में योक प्रणाली के साथ स्टील गैंगवे का संनिर्माण -** पांडू टर्मिनल पर यात्रियों और कार्गो की आवाजाही को बेहतर बनाने और जलयानों के बर्थिंग परिचालन को बढ़ाने के लिए 2.88 करोड़ रुपये की लागत से इसे विकसित किया जा रहा है।

6. **फैंसी बाज़ार में रीजनल ऑफिस, एमएसडीसी, अतिथि गृह और आईटीएटी के लिए ऑफिस स्पेस हेतु भवन का निर्माण -** अंतर्देशीय जलमार्ग परिचालन के लिए प्रशासनिक और कौशल विकास अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 50.00 करोड़ रुपये की लागत से इसे बनाया जा रहा है।

7. **पांडु टर्मिनल को पोत मरम्मत सुविधा से जुड़ने वाली लिंक रोड - भारी मशीनरी, जलयानों और लॉजिस्टिक्स उपकरणों की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्कता प्रदान करने के लिए 55 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने का लक्ष्य है।**

8. **ब्रह्मपुत्र नदी (रा.ज-2) के लिए 02 स्टील पोंटून का निर्माण -** रा.ज-2 पर फ्लोटिंग टर्मिनल अवसंरचना और बर्थिंग परिचालन को बेहतर बनाने के लिए 3.40 करोड़ रुपये की लागत से इनका निर्माण किया जा रहा है।

9. **ब्रह्मपुत्र नदी (रा.ज-2) के लिए 02 एसडीबी जलयानों का निर्माण -** रा.ज-2 पर अंतर्देशीय यात्री परिवहन और नदी संपर्कता को सुदृढ़ करने के लिए 2.88 करोड़ रुपये की लागत से इनका निर्माण किया जा रहा है।

10. **बोगीबील अभिगम चैनल की गणितीय मॉडलिंग -** बोगीबील में फेयरवे नियोजन, नौचालनात्मक सुरक्षा और टर्मिनल की संवहनीयता को बेहतर बनाने के लिए 0.60 करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य आरंभ किया जा रहा है।

11. **सामुदायिक जेट्टी के निर्माण के लिए डीपीआर -** असम के दूर-दराज के नदी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण नदी संपर्कता को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही में सुधार करने के लिए 5.56 करोड़ रुपये की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है।

3. देश में अन्य रा.ज की परियोजनाएं:

(i) केरल के राष्ट्रीय जलमार्ग:

- केरल राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग-3, राष्ट्रीय जलमार्ग-8 और राष्ट्रीय जलमार्ग-9 पर फेयरवे चैनल का सतत विकास।
- आईडब्ल्यूएआई ने राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में थ्रिकुन्नापुझा में नए नौचालन लॉक और कोविलथोट्टम में सिंगल-लेन पुल के पुनर्निर्माण का कार्य केरल सरकार को डिपॉजिट आधार पर सौंपा।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-8 और राष्ट्रीय जलमार्ग-9 अलाप्पुझा में राष्ट्रीय जलमार्ग-3 से जुड़े हुए हैं और ये दोनों राष्ट्रीय जलमार्ग पर्यटन और यात्रियों की आवाजाही के लिए (आंशिक रूप से) चालू हैं। पर्यटन और यात्रियों की चौबीसों घंटे सुरक्षित आवाजाही के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-8 में 15 और राष्ट्रीय जलमार्ग-9 में 25 नौचालन सहायता उपलब्ध कराई गई हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में उपयुक्त स्थानों पर 4 एचडीपीई जेट्टी लगाई जा रही हैं।

(ii) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राष्ट्रीय जलमार्ग:

- मुक्त्याला और हरिचंद्रपुरम में ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग-4 में इब्राहिमपटनम में आंध्र प्रदेश सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है।
- मुक्त्याला, हरिशचंद्रपुरम में रो-रो टर्मिनल और उससे जुड़े अवसंरचना को विकसित करने का काम किया जा रहा है।
- पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, राज्य समर्थन करार (एसएसए) के तहत 4 स्टील फ्लोटिंग पोंटून जेट्टी आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एपीटीडीसी) को सौंप दी गई हैं।
- तेलंगाना राज्य के कृष्णा नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-4) वाले हिस्से में लगाने के लिए 3 स्टील फ्लोटिंग पोंटून जेट्टी बनाने का काम चल रहा है।

(iii) ओडिशा के राष्ट्रीय जलमार्ग:

- ओडिशा के राष्ट्रीय जलमार्ग में नियमित रूप से 'लॉन्गिट्यूडिनल थलवेग सर्वेक्षण' किया जा रहा है।
- कार्गो जलयानों की सुरक्षित आवाजाही के लिए महानदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-64) में 10 नौचालन बॉयस् लगाए गए।
- ओडिशा के तालचेर से कोयले की माल-ढुलाई के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के तालचेर-धामरा-पारादीप पत्तन वाले भाग का विकास करना।
- पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-14 और राष्ट्रीय जलमार्ग-64 में 3 कंक्रीट जेट्टी बनाई जा रही हैं।

(iv) कर्नाटक के राष्ट्रीय जलमार्ग:

- नदी क्रूज़ पर्यटन के लिए काबिनी (राष्ट्रीय जलमार्ग-51) और शरावती (राष्ट्रीय जलमार्ग-90) नदियों का विकास।
- पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काबिनी और शरावती नदियों में 03 कंक्रीट जेट्टी बनाई जा रही हैं।

(v) गोवा के राष्ट्रीय जलमार्ग:

- गोवा में रिवर क्रूज़ टूरिज़्म के लिए मांडवी, ज़ुआरी और कंबरजुआ नदियों का विकास।
- टूरिज़्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मांडवी, ज़ुआरी और कंबरजुआ नदियों पर 10 कंक्रीट जेट्टी बनाई जा रही हैं।

(vi) जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय जलमार्ग:

- झेलम (राष्ट्रीय जलमार्ग-49), चिनाब (राष्ट्रीय जलमार्ग-26) और रावी (राष्ट्रीय जलमार्ग-84) नदियों में तटवर्ती सुविधाएं, तैरते हुए कंक्रीट जेट्टी और नौचालनात्मक में मदद करने वाली सुविधाएं जैसे विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

(vii) हिमाचल प्रदेश और पंजाब के राष्ट्रीय जलमार्ग:

- ब्यास (राष्ट्रीय जलमार्ग-17) और सतलुज (राष्ट्रीय जलमार्ग-98) नदियों में व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

(viii) गुजरात के राष्ट्रीय जलमार्ग:

- नर्मदा (राष्ट्रीय जलमार्ग-73) और तापी (राष्ट्रीय जलमार्ग-100) नदियों में नदी क्रूज़ पर्यटन के लिए विकास कार्य किए गए।
- पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-73) में 02 फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टी लगाई गई हैं और तापी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-100) में 02 फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टी लगाई जा रही हैं।

(ix) पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय जलमार्ग:

- इच्छामती (राष्ट्रीय जलमार्ग-44) और सुंदरबन जलमार्गों (राष्ट्रीय जलमार्ग-97) में विकास कार्य आरंभ किए गए हैं।
- स्वरूपनगर में एकल-लेन पुल, जो इच्छामती नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-44) पर सुरक्षित नौचालन में बाधा बना हुआ था, मार्च 2026 में बनकर तैयार हुआ और माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया।
- सिल्वरट्री पॉइंट से अठाराबांकी (201 किमी) तक का सुंदरबन जलमार्ग एक अंतरराष्ट्रीय ईडब्ल्यूटी रूट है, यह रूट बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय संपर्कता प्रदान करता है और भारत-बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन एवम व्यापार' (पीआईडब्ल्यूटीटी) प्रोटोकॉल के तहत प्रोटोकॉल रूट 1, 2 और 3, 4 का हिस्सा है।

4. राष्ट्रीय जलमार्गों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण परियोजनाएं:

(i) राष्ट्रीय जलमार्गों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण:

वर्तमान में, 22 राष्ट्रीय जलमार्गों (राष्ट्रीय जलमार्ग-1, राष्ट्रीय जलमार्ग-2, राष्ट्रीय जलमार्ग-3, राष्ट्रीय जलमार्ग-4, राष्ट्रीय जलमार्ग-5, राष्ट्रीय जलमार्ग-8, राष्ट्रीय जलमार्ग-9, राष्ट्रीय जलमार्ग-14, राष्ट्रीय जलमार्ग-16, राष्ट्रीय जलमार्ग-23, राष्ट्रीय जलमार्ग-31, राष्ट्रीय जलमार्ग-40, राष्ट्रीय जलमार्ग-44, राष्ट्रीय जलमार्ग-47, राष्ट्रीय जलमार्ग-57, राष्ट्रीय जलमार्ग-64, राष्ट्रीय जलमार्ग-73, राष्ट्रीय जलमार्ग-86, राष्ट्रीय जलमार्ग-94, राष्ट्रीय जलमार्ग-97, राष्ट्रीय जलमार्ग-100, राष्ट्रीय जलमार्ग-110 और इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) रूट पर नियमित रूप से साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक थलवेग सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

यह विस्तार हाइड्रोग्राफिक निगरानी नेटवर्क में हुई बड़ी बढ़ोतरी को दिखाता है, ताकि नौचालनात्मक चैनलों का नियमित आकलन हो सके, फेयरवे की स्थिति ठीक बनी रहे और अंतर्देशीय जल परिवहन परिचालन की सुरक्षा और विश्वसनीयता बेहतर हो सके।

(ii). नदी सूचना सेवा प्रणाली

आईडब्ल्यूएआई ने वर्ष 2015 से 2020 की अवधि के दौरान तीन चरणों में राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा नदी) पर नदी सूचना सेवा (आरआईएस) प्रणाली को लागू किया, जिसमें चरण- I: हल्दिया-फरक्का, चरण- II: फरक्का-पटना और चरण- III: पटना-वाराणसी को शामिल किया गया।

आरआईएस प्रणाली में 4 नियंत्रण स्टेशन और 13 बेस स्टेशन शामिल हैं, जो उन्नत संपर्कता और निगरानी अवसंरचना से लैस हैं, इसमें स्वचलित पहचान प्रणाली (एआईएस), वीएचएफ संपर्कता प्रणाली, सर्वर, मोनोपोल टावर, मौसम संबंधी सेंसर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं। यह प्रणाली जलमार्ग पर चलने वाले जलयानों की रियल-टाइम ट्रैकिंग और निगरानी में मदद करता है, जिससे नौचालन की सुरक्षा बेहतर होती है, आवागमन का कुशल प्रबंधन होता है और अंतर्देशीय जल परिवहन परिचालन क्षमता में सुधार होता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर परिचालन के दौरान जलयान मास्टर्स को ज़रूरी नौचालनात्मक सहायता देने के लिए 30 विभागीय जलयानों को आरआईएस कंसोल से लैस किया गया है।

(iii). इलेक्ट्रॉनिक नौचालन चार्ट (ईएनसी)

आईडब्ल्यूएआई ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1, राष्ट्रीय जलमार्ग-3, राष्ट्रीय जलमार्ग-5, राष्ट्रीय जलमार्ग-8, राष्ट्रीय जलमार्ग-9, राष्ट्रीय जलमार्ग-10, राष्ट्रीय जलमार्ग-14, राष्ट्रीय जलमार्ग-23, राष्ट्रीय जलमार्ग-27, राष्ट्रीय जलमार्ग-53, राष्ट्रीय जलमार्ग-64, राष्ट्रीय जलमार्ग-68, राष्ट्रीय जलमार्ग-73, राष्ट्रीय जलमार्ग-83, राष्ट्रीय जलमार्ग-86, राष्ट्रीय जलमार्ग-91, राष्ट्रीय जलमार्ग-110 और राष्ट्रीय जलमार्ग-111 में चलने वाले जलयानों के नौचालन के लिए नाविकों को विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से परिचालन और टाइडल राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए ईएनसी तैयार किए हैं और इन्हें आईडब्ल्यूएआई जलयान ट्रैकर और पानी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। वर्ष 2014 से पहले, ईएनसी केवल राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के लिए उपलब्ध थे।

अनुबंध-II

दिनांक 24.07.2026 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 977 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय कार्गो की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. अवसंरचनात्मक उपाय:

(i) 5 पूर्व-मौजूदा स्थायी टर्मिनलों के अलावा रा.ज.-1 पर 66 सामुदायिक जेट्टियां, 20 फ्लोटिंग टर्मिनलों, 3 मल्टी-मॉडल टर्मिनलों (एमएमटी), 1 इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी) और 4 रो-पैक्स टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(ii) पांडु, जोगीघोपा में एमएमटी के साथ रा.ज.-2 पर 13 फ्लोटिंग टर्मिनलों और बोगीबील एवं धुबरी में टर्मिनलों का प्रावधान किया गया है। जोगीघोपा, पांडु, विश्वनाथ घाट और नेमाती में क्रूज जलयानों के लिए चार समर्पित जेट्टी प्रदान की गयी हैं। इसके अलावा, असम में सादिया, लाइका और ओरियम घाट पर क्रूज और यात्रियों के लिए जेट्टी का निर्माण किया गया है।

(iii) रा.ज.-16 पर बदरपुर और करीमगंज में 2 मौजूदा टर्मिनलों को उन्नत/नवीनीकृत किया गया और आईबीपी मार्ग पर त्रिपुरा में गुमती नदी पर सोनामुरा में 1 टर्मिनल का निर्माण किया गया है।

(iv) केरल में रा.ज.-3 पर गोदामों सहित 9 स्थायी आईडब्ल्यूटी टर्मिनल और 2 रो-रो/रो-पैक्स टर्मिनलों का निर्माण किया गया है।

(v) गोवा सरकार को 4 फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टियां प्रदान की गई और रा.ज.-68 पर स्थापित की गई हैं।

(vi) आंध्र प्रदेश में रा.ज.-4 पर 4 पर्यटक जेट्टियां शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश में मथुरा-वृंदावन खंड में रा.ज.-110 पर 8 फ्लोटिंग जेट्टियां, रा.ज.-73 पर 2 जेट्टियां और बिहार में रा.ज.-37 पर 2 जेट्टियां स्थापित की गई हैं।

(vii) फरक्का में एक नया नौगमय लॉक बनाया गया है।

(viii) पोत के सुचारू और तेज आवागमन को सुगम्य बनाने के लिए रा.ज.-1 पर 2 क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम) का निर्माण किया गया है।

(ix) पोत के प्रचालन के लिए 35/45 मीटर चौड़ाई और 2.0/2.2/2.5/3.0 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) का नौचालन चैनल प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों में फेयरवे रखरखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रखरखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण) शुरू किए गए हैं।

2. नीतिगत उपाय:

- **जलवाहक योजना:** सरकार द्वारा कार्गो स्वामियों के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा अंतर्देशीय और तटवर्ती नौवहन लिमिटेड (आईसीएसएल) द्वारा भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 राष्ट्रीय जलमार्ग-2 तथा राष्ट्रीय जलमार्ग-16 पर कार्गो परिवहन हेतु निर्धारित सेवा के संचालन को बढ़ावा देने के लिए 35% प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह योजना तीन वर्ष की अवधि के लिए 95.42 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही है।

• **टनेज कर:** दिनांक 01.02.2025 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में, भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय पोतों तक टनेज कर योजना का विस्तार करने की घोषणा की गई। इससे अंतर्देशीय जलमार्गों (रा.ज), नदियों तथा नहरों पर संचालित अंतर्देशीय जलयानों को लाभ प्राप्त होगा। यह कदम अंतर्देशीय जलमार्गों का परिवहन के लिए उपयोग करने हेतु अधिक कार्गो स्वामियों को प्रोत्साहित करेगा तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का अनुमान है। टनेज कर प्रणाली नौवहन कंपनियों के लिए एक विशेष कराधान व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत कर का निर्धारण वास्तविक लाभ के आधार पर न होकर जलयान के टनभार (टनेज) के आधार पर किया जाता है। यह व्यवस्था पोत स्वामियों को स्थिर, पूर्वानुमेय तथा अपेक्षाकृत कम कर दायित्व प्रदान करती है, जिससे उन पर पड़ने वाला वित्तीय भार कम होता है।

- **राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टियों/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025** अधिसूचित कर दिए गए हैं। इन विनियमों के माध्यम से निजी कंपनियों को अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना में निवेश करने तथा उसका परिचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही, अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट विनियामक ढांचा भी उपलब्ध कराया गया है।
- **जलयान एवं नाविक:** अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र में कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूयींग बिजनेस) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 'वाहन' **एवं** 'सारथी' की तर्ज पर देशभर में पोतों तथा चालक दल के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस एवं पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोतों एवं चालक दल के डिजिटल पंजीकरण को सुगम बनाएगा तथा देश में पंजीकृत पोतों एवं चालक दल की संख्या संबंधी सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे नीति-निर्माण एवं योजनाओं के प्रभावी नियोजन में सहायता मिलेगी।
- **कार्गो समेकन:** जलमार्गों पर कार्गो परिवहन को जलमार्गों के किनारे उद्योगों के अभाव के कारण बहु-माध्यमीय परिवहन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः कार्गो समेकन केंद्रों के विकास के लिए वाराणसी में बहु-माध्यमीय लॉजिस्टिक्स पार्क तथा साहिबगंज में एकीकृत क्लस्टर-सह-लॉजिस्टिक्स पार्क की परियोजनाएँ आरंभ की गई हैं। इन एमएमएलपी के विकास हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तीन एमएमटी के लिए रेल संपर्कता

का काम मेसर्स इंडियन पोर्ट एंड रेल कंपनी लिमिटेड (एमओपीएसडब्ल्यू के तहत एक पीएसयू) को सौंपा गया है।

- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्गो परिवहन का स्थानांतरण:** कार्गो को जलमार्गों से भेजने की व्यवस्था (मोडल शिफ्ट) के लिए, 140 से ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संपर्क किया गया है ताकि वे आईडब्ल्यूटी मोड का प्रयोग करके अपने सामान की आवाजाही की योजना बना सकें। उनसे जलमार्गों से कार्गो की आवाजाही की मौजूदा स्थिति और कार्गो के परिवहन के तरीके में बदलाव (मोडल शिफ्ट) की अपनी योजना बताने का अनुरोध किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, सहकारिता, उर्वरक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारी उद्योग, इस्पात और कोयला मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को परामर्श दें कि वे जहाँ तक संभव हो आईडब्ल्यूटी मोड का इस्तेमाल करें और एमआईवी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्गो का एक निश्चित प्रतिशत आईडब्ल्यूटी मोड के लिए तय करें।
